न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
अपील संख्या : 208/2023 (11/82/2023)
तारीख रजू : 21.09.2023 (02.08.2023)

निर्णय दिनांक : 21.06.2024

1. रमेश चन्द पुत्र यादराम जाति अहीर निवासी नांगल खोड़िया तहसील बहरोड़ जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़। ....असल रेस्पोडेन्ट
2. रामचन्द्र पुत्र यादराम
3. राजाराम पुत्र यादराम
4. हरपाल पुत्र यादराम
5. कलावती पुत्री यादराम जाति समस्त अहीर
6. संतोष पुत्री महाराम
7. विद्या पुत्री महाराम
8. छोटा देवी स्त्री रत्तीराम
9. रामोतार पुत्र रत्तीराम
10. दयाराम पुत्र रत्तीराम
11. अशोक पुत्र रत्तीराम
12. नरेश पुत्र रत्तीराम जाति समस्त अहीर निवासीयान ग्राम नांगल खोड़िया तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़। .... तरतीवी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय इंतकाल संख्या 324 दिनांक 03.10.1997 न्यायालय तहसीलदार बहरोड़ एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी

उपस्थितः–

01. श्री मनीष कुमावत –वकील अपीलान्ट
02. श्री विरेन्द्र मेहरा – वकील रेस्पोडेन्टस

––:: निर्णय ::––

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 21.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि यह कि निर्णय तहसीलदार साहब बहरोड का इंतकाल के सम्बन्ध में है जिस स्थिति में अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। इंतकाल संख्या 324 वाके ग्राम नांगल खोडिया बटवारानामा के आधार पर प्रस्तुत किया था जो इंतकाल दिनांक 03–10–1997 को स्वीकार कर लिया उसके बाद उसी इंतकाल को पुनः दिनांक 03–10–97 की तारीख दर्ज करते हुए निरस्त कर दिया। अदालत मातहत ने इंतकाल निरस्त करने से पूर्व अपीलान्ट या तरतीवी रेस्पाडेन्टान को कोई सूचना नही दी तथा बिना सूचना दिये आदेश पारित किया है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को हाल ही में दिनांक 13–02–18 को हुई जबकि वह पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने गया तो बताया कि अभी खाता शामिल में है। बटवारे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल नही आया है। इस पर अपीलान्ट ने अदालत मातहत के कार्यालय में जाकर जानकारी की तो पता चला कि उनके पक्ष में स्वीकार किया गया इंतकाल निरस्त कर दिया गया है जिस पर अपीलान्ट दिनांक 13–02–18 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल 22–02–2018 को

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

प्राप्त हुई नकल मिलने के बाद अपील अविलम्ब अंदर मियाद पेश की जा रही है। अदालत मातहत ने इंतकाल बटवारानामा के आधार पर पूर्व में स्वीकार कर लिया जिस स्थिति में अदालत मातहत को उक्त आदेश को निरस्त करने का अधिकार नही है। अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट या तरतीवी रेस्पा० को सूचना नही दी थी तथा बिना सूचना दिये आदेश पारित किया है। जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट वकील ने निवेदन किया कि इन तथ्यो के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरोड का आदेश दिनांक 03–10–1997 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 324 वाके ग्राम नांगल खोडिया को खारिज किया है को निरस्त कर इंतकाल संख्या 324 जो कि बटवारानामा के आधार पर दर्ज किया गया है उसे स्वीकार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि इंतकाल संख्या 324 वाके ग्राम नांगल खोडिया बटवारानामा के आधार पर प्रस्तुत किया था जो इंतकाल दिनांक 03–10–1997 को स्वीकार कर लिया उसके बाद उसी इंतकाल को पुनः अवलोकन कर रकबा एवं राजस्व के विभाजन में विशेष अन्तर होने पर उसी दिन दिनांक 03–10–97 की तारीख दर्ज करते हुए निरस्त कर दिया था जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा बहुत देरी से पेश की है जो अतिविलम्ब से होने के कारण मियाद बाहर है। वकील अपीलान्ट अपनी बहस के दौरान जिस राजीनामा की बात कर रहे है उन पक्षकार/खातेदारान की मृत्यु होने से राजीनामा एवं कार्यवाही करना उचित नही है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का ध्यानपुर्वक मनन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 324 वाके ग्राम नांगल खोडिया बटवारानामा के आधार पर प्रस्तुत किया था जो इंतकाल दिनांक 03.10.1997 को स्वीकार कर लिया उसके बाद उसी इंतकाल को पुनः अवलोकन कर रकबा एवं राजस्व के विभाजन में विशेष अन्तर होने पर दिनांक 03.10.97 को निरस्त किया गया था। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा लगभग 21 साल बाद दिनांक 05.03.2018 को पेश की है जो मियाद बाहर है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है, एवं अपीलान्ट जिस राजीनामे के द्वारा विभाजन किया गया था कि फौत होने से उस पर कार्यवाही करना उचित प्रतीत नही होता। पक्षकार पुनः राजीनामा के आधार पर विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलांट की मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें एवं तहत का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड